संख्या:1796/38–6–2008–129एल0सी0/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 दिनांक 04 अक्टूबर, 2008

विषयः– बी0पी0एल0 पुनर्सर्वेक्षण 2007 का स्थगन।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या:3096/38–6–2007–129एल0सी0/2001 दिनांक 05 नवम्बर, 2007 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत प्रदेश में बी0पी0एल0 पुनर्सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। इस मध्य, भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चिन्हांकन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया तथा अन्य सम्बधित मुद्दों पर संस्तुति देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन अपनी अधिसूचना संख्या:क्यू 16025/8/2006–ए0आई0 (आर0डी0) दिनांक 12 अगस्त, 2008 के द्वारा कर दिया गया है जो छः माह में अपनी रिपोर्ट देगा।

इस विशेषज्ञ दल की संस्तुति के उपरान्त 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु पुनः नये सिरे से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना होगा। उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सम्प्रति प्रचलित बी0पी0एल0 पुनर्सर्वेक्षण 2007 की कार्यवाही तात्कालिक प्रभाव से स्थगित की जाती है।

इस स्थगन के परिणामस्वरूप जनपदवार वर्ष 2002 में निर्धारित बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्याः 1796/38-6-2008-129एल0सी0 /2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2— संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली।

3— आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

4— आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

5— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6— निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

7— समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1796/38-6-2008-129एल0सी0 /2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

2— समस्त मण्डलीय उपायुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

3— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4— समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,उ0प्र0।

5— समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6— समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
अनु सचिव